कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 **दिनांक 26/04//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 25.04.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- थाना भांवरकोल गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के निकट पर्यवेक्षण दिनांक 25.04.2024 को मैं उ0नि0 अश्वनी प्रताप सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति मे मामूर होकर सोनाड़ी मोड़ पर चेकिंग कर रहा था कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक व्यक्ति अपने पास अवैध शस्त्र लिये हुए मलसा चट्टी पर खडा है और कोई गम्भीर अपराध कारित करने के फिराक में है अगर जल्दी किया जाए तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराह मय मुखबीर खास के सोनाड़ी मोड से मलसा चट्टी की ओर बढे। मलसा चट्टी से पहले ही रूककर मुखबीर खास ने इशारे से बताया कि जो व्यक्ति अवैध शस्त्र लिया है वह यही है और हट बढ गया हम पुलिस बल छिपते छिपाते धीरे धीरे उस व्यक्ति की तरफ बढे कि हम पुलिस बल को आता देख वह व्यक्ति मलसा गाँव की तरफ भागने लगा हम पुलिस बल द्वारा उस व्यक्ति को दौड़ाकर हिकमत अमली से हमराही की मदद से समय करीब 19.15 बजे मलसा चट्टी से मलसा गाँव की तरफ 15-20 कदम दूरी पर पकड़ लिया गया पकड़े हुये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम सदरे आलम उर्फ कल्लू उर्फ करिया नट पुत्र सुहेल नट निवासी ग्राम मच्छटी थाना भांवरकोल उम्र 28 वर्ष जनपद गाजीपुर बताया तथा कहा कि मेरे पास तमंचा है इसलिए अचानक आप लोगो को देखकर भागना चाहा था। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए लाल रंग के लोअर के दाहिने फेट में खुसा हुआ एक देशी तमंचा .315 बोर व लोवर के दाहिने जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचा व कारतूस के लाइसेंस को तलब किया गया तो दिखाने से कासिर है और अपनी गलती की माफी मांग रहा है, गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

1. सदरे आलम उर्फ कल्लू उर्फ करिया नट पुत्र सुहेल नट निवासी ग्राम मच्छटी थाना भांवरकोल धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1. 118/20 धारा- 147, 148, 149, 308, 323, 504, 506 भादवि0 थाना भावरकोल गाजीपुर

2. 41/24 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना भावरकोल गाजीपुर

<u>02. थाना कासिमाबाद पुलिस/सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा 11 अदद मोबाइल फोन बरामद</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद गाजीपुर एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय कासिमाबाद के कुशल निर्देशन व पर्यवेक्षण में सर्विलांस सेल गाजीपुर की मदद से थाना कासिमाबाद पुलिस के अथक परिश्रम व मेहनत से 11 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियो के बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है । उल्लेखनीय है कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मोबाइल गुमशुदगी के जांच के क्रम में सीसीटीएनएस कासिमाबाद द्वारा सर्विलांस सेल गाजीपुर की मदद से 11 अदद विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा आज दिनांक 25.04.2024 को मोबाइल फोन के धारक को बुलाकर थाना कासिमाबाद द्वारा सुपुर्द किया गया। अपने खोये हुए मोबाइल फोन प्राप्त कर नागरिकों ने पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

<u>03. थाना बहरियाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी गिरफ्तार</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण दिनांक 25.04.2020 को उ0नि0 रामानन्द यादव मय हमराह का0 दीपक कुमार मय सरकारी वाहन जीप UP61G0313 चालक का0 अवनीश पटेल के देखभाल क्षेत्र व मा0न्यायालय द्वारा जारी NBW वारंटी नैनू चौहान पुत्र रामलाल चौहान नि0ग्राम बेंवदा तिसड़ा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 73/01 धारा 376 भादवि व 3(1)12 SC/ST ACT थाना सादात गाजीपुर के घर पर तलाश दबिश किया गया तो वारण्टी/अभियुक्त अपने घर के बाहर कार्य करता हुआ मौजूद मिला। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये हिरासत पुलिस मे लेकर थाना हाजा लाया गया। अग्रिम विविध कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. नैनू चौहान पुत्र रामलाल चौहान नि0ग्राम बेंवदा तिसड़ा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त अपराधिक इतिहास-

2. मु0अ0सं0 73/01 धारा 376 भादवि व 3(1)12 SC/ST ACT थाना सादात जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का विवरण

गिरफ्तारी का दिनांक- 25.04.2024 समय 09.30 बजे

गिरफ्तारी का स्थान –

1. घर के पास बहद ग्राम बेंवदा तिसड़ा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर